खफीफा न्यायालय/न्यायालय सिविल जज (एस0डी0), रूड़की, जिला हरिद्वार।

प्रकीर्ण वाद संख्या– 42/2022

शर्मेश कुमार बनाम सेवती प्रसाद

<u>दिनांक 17.01.2025–</u>

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/निर्णीत ऋणी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार एवं विपक्षी/डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष वर्मा उपस्थित आये। प्रार्थी/निर्णीत ऋणी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 26डी प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी/निर्णीत ऋर्णी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 26डी प्रस्तुत कर इस आशय का आज पुनः कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्णीत ऋणी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन एम.एस. संख्या 514/2021 शर्मेश कुमार आदि बनाम सेवती योजित की गई है, जो कि विचाराधीन है, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय में अवकाश होने के कारण प्रार्थी/निर्णीत ऋणी की याचिका लम्बित रहने के दृष्टिगत दिनांक 15.02.2025 के बाद की तारीख न्यायालय से याचित की गई है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षी/डिक्रीदार द्वारा घोर आपत्ति प्रस्तुत की गई।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/निर्णीत ऋणी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 47 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त मामले की कार्यवाही इजराय वाद संख्या 02/2019 से सम्बन्धित है। सम्बन्धित इजराय वाद प्राचीन वाद की श्रेणी में आता है। निर्णीत ऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित रिट पिटिशन एम.एस. संख्या 514/2021 शर्मेश कुमार आदि बनाम सेवती का कोई स्टेटस पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है तथा ऐसा कोई आदेश भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है कि जिससे यह दर्शित हो कि मामले में माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्तुत इजराय वाद की कार्यवाही स्थगित की गई हो। प्रार्थी/निर्णीत ऋणी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित होने के आधार पर इस न्यायालय से स्थगन चाहा गया है, किन्तु विधि स्थापित है कि मात्र अपीलीय न्यायालय के समक्ष लम्बित होने के आधार पर विचारण न्यायालय की कार्यवाही स्थगित नहीं मानी जा सकती है। इजराय वाद से सम्बन्धित प्रकिया में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वादी को शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/निर्णीत ऋणी के प्रार्थना पत्र तथा इसी सम्बन्ध में प्रार्थी/निर्णीत ऋणी द्वारा पूर्व में भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.08.2024 के आलोक में प्रार्थी/निर्णीत ऋणी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। विपक्षी/डिक्रीदार अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व आपत्ति के सापेक्ष लंच बाद प्रस्तुत करे।

(रीतिका सेमवाल)
खफीफा न्यायालय /
सिविल जज (एस0डी0),रूड़की,
जिला हरिद्वार।

<u>दिनांक 17.01.2025 लंच बाद–</u>

पुकार पर पत्रावली पुनः पेश हुई। प्रार्थी/निर्णीत ऋणी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार एवं विपक्षी/डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष वर्मा उपस्थित आये। विपक्षी/डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी/निर्णीत ऋणी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। पत्रावली आदेश हेतु नियत की जा रही है। प्रार्थी/निर्णीत ऋणी चाहे तो आदेश से पूर्व अपना पक्ष रख सकता है।

पत्रावाली वास्ते शेष सुनवाई/आदेश दिनांक 21.01.2025 को पेश हो।

(रीतिका सेमवाल)
खफीफा न्यायालय /
सिविल जज (एस0डी0),रूड़की,
जिला हरिद्वार।